No. 12(42)/2015-AEI(12455) Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Department of Heavy Industry AEI Section

Udyog Bhawan, New Delhi Dated 15^{th} April, 2019

In partial modification of the revised guidelines for issuing GST Certificate on purchase of Car by the Physically Handicapped Person issued vide communication dated 1st May, 2018, the competent authority has decided that the requirement to mention Aadhar Number in the Annexure A (Column 10 of application format) of these guidelines will be '**Optional**' instead of '**Mandatory'** with immediate effect.

2. Alternatively, PWDs applying for GST certificates may submit copy of any other document in support of their identity/DoB.

3. This issues with the approval of competent authority.

(Simmi Narnaulia) Under Secretary(AEI)

Copy to:

1. Joint Secretary, Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Sardar Patel Bhawan, New Delhi.

2. CBIC, Department of Revenue, Ministry of Finance.

3. Principal Secretaries/Secretaries of State Governments/Union Territories

4. All commissioners of CBIC

रंग 12/42/2015- ए.ई.आई (12455) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग ए ई आई अनुभाग

> उद्योग भवन, नई दिल्ली अप्रैल 15, 2019

> > 22

1 मई, 2018 को जारी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा कार की खरीद पर जीएसटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के आंशिक संशोधन में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के स्तंभ 10 (अनुबंध ए) में आधार संख्या का उल्लेख करने की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से 'अनिवार्य' के स्थान पर 'वैकल्पिक' कर दिया गया है।

 वैकल्पिक रूप से, GST प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले PWD अपनी पहचान / जन्म तारीख (DoB) के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

सिम्मी नारनौलिया अवर सचिव (ए ई आई)

प्रति

1. संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली ।

2. सी बी आई सी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ।

3. राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव/ राज्य सचिव।

4. सी बी आई सी के सभी आयुक्त।

5. एस आई ए एम, इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली।